न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला–बून्दी

पीठासीन अधिकारी :– श्री शिवराज मीणा, आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0:–112 / दावा / 2017

ता0 रजू 15.11.2017

GCMS ID–2017 / 00207

उनवान

1. केसरी लाल आ0 जयकिशन जाति मीणा निवासी फीतापुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

1/1 धापूबाई पत्नी स्व0 केसरीलाल जाति मीणा फीतापुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

1/2 पप्पूलाल आ0 स्व0 केसरीलाल जाति मीणा फीतापुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

1/3 विद्याबाई पुत्री स्व0 केसरीलाल जाति मीणा फीतापुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

1/4 रेखा बाई पुत्री स्व0 केसरीलाल जाति मीणा फीतापुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

–वादीगण–

बनाम

1. सुनिता बाई पत्नी प्रहलाद जाति मीणा निवासी फीतापुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. कमला बाई पत्नी जगदीश मीणा निवासी मकान न0 346 गेट न0 4 लढा मेंशन एवं श्रीवा बाई रजतगृह कॉलोनी बून्दी।
3. महावीर आ0 नन्दलाल जाति मीणा निवासी फीतापुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. रमेश आ0 नन्दलाल जाति मीणा निवासी फीतापुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. नवलकिशोर आ0 रंगलाल जाति मीणा निवासी समदपुरिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत :– तकासमा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

श्री शम्भूदयाल शर्मा अधि0 वादीगण

श्री महेश नामा अधि0 प्रतिवादीगण

आदेश दिनांकः–02.04.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

वाद वादी का मुख्य रूप से कथन है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 701 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम शोला की झौपडिया पटवार मण्डल सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है जो जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 की खतोनी संख्या 17 में वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी केसरी लाल का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी, सुनिता का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी कमला बाई 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा दर्ज है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है एवं भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने व भूमि का बंटवारा नहीं होने से प्रतिवादीगण आये दिन खेतों की मेडों को तोडते है वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करते हैं तथा पानी के धोरों व भूमि की सीमाबन्दी को व खेतों की मेडो को नष्ट करने से आये दिन मौके पर विवाद बना रहता है तथा मन करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू रहते है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करवाया जाना आवश्यक हो गया है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर सिंचाई का साधन मात्र नहर से है भूमि में चाह व बोरिंग नहीं है। भूमि पर सिंचाई का अन्य कोई साधन नहीं होने से नहर पर ही निर्भर है। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है जो वादी को अपने हिस्से की भूमि से महरूम करना चाहते है और वादी को अपने हिस्से की भूमि पर से कृषि लाभ लेने में भी बाधा उत्पन्न करते है। तथा आये दिन भूमि की मेडो को व पानी के धोरों को नष्ट करते है जिससे हमेशा मौके पर विवाद बना रहता है। वादी ने प्रतिवादीगण से दिनांक 19 अप्रेल 2017 को भूमि का बंटवारा करवाकर खाता पृथक–पृथक कायम करवाने व बंटवारे में आने वाली अपने अपने हिस्से की भूमि पर हिस्से अनुसार काबिज होने हेतु तहसील कार्यालय में चलकर आपस सहमति से बंटवारा करवाने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण ने बंटवारा करवाने इन्कार कर दिया है वरन प्रतिवादी सुनिता, कमला व महावीर, रमेश तथा नवलकिशोर ने वादी को धमकी दी कि हम न तो बंटवारा करवायेंगे और न ही खाता अलग करवायेंगे तथा हमारे पास हमारे हिस्से से अधिक भूमि निकलती है तो भी हम उसे नहीं छोडेंगे तथा तुम्हारे हिस्से की भूमि पर तुम्हे भी काश्त नहीं करने देंगे व प्रतिवादीगण एकराय होकर वादी को रबी की फसल भी नहीं बोने दे रहे है और वादी को अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने में भी अवरोध कर रहे है। तथा वादीगण के साथ मारपीट पर उतारू हो गये प्रतिवादीगण द्वारा 19.04.2017 को ही बंटवारा करने से इंकार हो जाने व 30.10.2017 को वादी के हिस्से की भूमि पर वादी को रबी की फसल नहीं बोने देने से अन्तिम रूप से वादी को उक्त वाद कारण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जारी है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी वादग्रस्त भूमि में निहित अपने हिस्से की 1/4 हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा करवाकर अपना खाता पृथक कायम करवावे एवं वादी के हिस्से व बंटवारे की भूमि पर दखलंदाज नहीं करने वादी को काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा नहर से आने वाले सिंचाई धोरों को नष्ट नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावावे। वादग्रस्त भूमि ग्राम फीतापुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद में बंटवारे का अनुतोष चाहा गया है। बंटवारे के वाद में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होने से राज्य सरकार की ओर से भूमिदारी तहसीलदार हिण्डोली को प्रतिवादी संख्या 6 बनाया गया है। वादपत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावे :–कृषि भूमि खसरा संख्या 701 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम शोला की झौपडिया पटवार मण्डल सथूर में निहित वादी के 1/4 हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा किया जाकर वादी का खाता पृथक कायम किया जावे एवं वादी के हिस्से एवं बंटवारे में प्राप्त भूमि पर वादी को स्वतंत्र कब्जा भी दिलाया जावे। भूमि का बंटवारा अच्छी से अच्छी व वादी को भी सडक के सहारे की भूमि हिस्से अनुसार बंटवारे में दी जावे। वादी को बंटवारे में प्राप्त भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाज नहीं करने वादी के खेत की मेंडों को व सिंचाई के धारों को नष्ट नहीं करने व सिंचाई में अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी नं. 01 लगायत 05 द्वारा जबाव पेश कर कथन किया कि विवादित भूमियों का पारिवारिक बंटवारा हो रहा और बंटवारे अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे से सभी खातेदारान अपने–अपने हिस्से अनुसार क़ाबिज है और मौके पर अपने–अपने हिस्से का सीमाज्ञान कर मेढबन्दी कर रखी है, हिस्सेनुसार व मौके काबिज अनुसार बंटवारा किया जाना इस शर्त पर स्वीकार है कि पारिवारिक बंटवारे के अनुसार विधिवत बंटवारा किया जावे। प्रतिवादी संख्या 06 फोरमल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नहीं है। तनकीयात कायम की जाकर शामिल मिसल की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 17 सम्वत 2071—2074 वाके ग्राम शोला की झौपडिया पटवार मण्डल सथूर तहसील हिण्डोली पेश किये है व साक्ष्य में पप्पूलाल मीणा का पेश कर बयान गवाह दर्ज करवाये गये।

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादीगण—प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादीगण अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं जिनका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रतिवादीगण को भी मुताबिक रिकॉर्ड के बंटवारा किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांकः— 23.01.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :— राजस्व / 25 / 587 दिनांकः— 18.03.2025 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू—सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा—53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय—4 व नियम 18—21 में वर्णित है।

बहस पक्षकारान के अधिवक्ता की सुनी गई। पक्षकारान के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

—: <u>क्रियात्मक आदेश</u> :—

अतः वाद वादी मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि ग्राम शोला की झौपडिया, पटवार मण्डल सथूर की निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :—

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	1. पप्पूलाल आ0 केसरीलाल जाति मीना हिस्सा 1 / 4 2. रेखा पुत्री केसरीलाल जाति मीना हिस्सा 1 / 4	701 / 1	0.3825

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

	3. विद्या पुत्री केसरीलाल जाति मीना हिस्सा 1/4 4. धापू बाई पत्नी स्व0 केसरीलाल जाति मीना हिस्सा 1/4 सा0 फीतापुरा मजरा सथूर खातेदार		
	योग	किता–1	0.3825
2.	1. कमला बाई पत्नी जगदीशप्रसाद जाति मीणा हिस्सा 1/3 सा0 रजतगृह कॉलोनी, बून्दी। 2. नवलकिशोर पुत्र रंगलाल जाति मीणा हिस्सा 1/9 3. महावीर पुत्र नन्दलाल जाति मीणा हिस्सा 1/9 4. रमेश पुत्र नन्दलाल जाति मीणा हिस्सा 1/9 5. सुनिताबाई पत्नी प्रहलाद जाति मीणा हिस्सा 1/3 सा0 फीतापुरा मजरा, संथूर खातेदार	701/2	1.1478
	योग	किता–1	1.1478

नक्शे में वादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियों को /// से व प्रतिवादीगण के हिस्सो में रहने वाली भूमियों को ……… से प्रस्तावित नक्शें में दर्शाया गया है। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/04/2025

(शिवराज मीणा)

आर0 ए0 एस0

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डोली